संख्या-23/2026/729/94-1-2026-312(125)/2024

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ0प्र0 प्रयागराज।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2026**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-91, के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030, स्टाम्प पंजीकरण, 03-पंजीकरण, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 04-जिला व्यय के मानक मद संख्या 03-महगॉई भत्ता में से 03 मुख्यालय के अन्तर्गत मानक मद संख्या 09-विद्युत देय, 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई, 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, 15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद, 19-विज्ञापन एवं विख्यापन व्यय, 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय, 49-चिकित्सा व्यय व 51-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान एवं 04 जिला व्यय के मानक मद संख्या 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान व 49-चिकित्सा व्यय में पुनर्विनियोग प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-376/नौ-104(बजट)/2025-26 दिनांक 24-03-2026 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–91, के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030, स्टाम्प पंजीकरण, 03 पंजीकरण, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 04–जिला व्यय में मानक मद सं०–03–महंगाई भत्ता में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि रु० 998.05 लाख (रुपये नौ करोड़ अट्ठानबे लाख पाँच हजार मात्र) का 04 मुख्यालय व्यय व 03 जिला व्यय के विभिन्न मानक मदों में पुर्नविनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है।

(4) उक्त् मदों में पुनर्विनियोग की गयी धनराशि का व्यय किये जाने में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) पुनर्विनियोग की गयी धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

(6) यह आदेश वित्त विभाग के आर0ई0 संख्या-बजट-1-684 दिनांक 25-03-2026 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2030030010300 (मुख्यालय-)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	091	2030030010300 मुख्यालय-	09 विद्युत देय	8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)
2	091	2030030010300 मुख्यालय-	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
3	091	2030030010300 मुख्यालय-	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
4	091	2030030010300 मुख्यालय-	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
5	091	2030030010300 मुख्यालय-	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
6	091	2030030010300 मुख्यालय-	49 चिकित्सा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
7	091	2030030010300 मुख्यालय-	58 आउट सोर्सिग सेवाओं हेतु भुगतान	62,00,000 (रुपये बासठ लाख मात्र)
	कुल			**9,42,00,000 (रुपये नौ करोड़ बयालीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2030030010400 (जिला व्यय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	091	2030030010400 जिला व्यय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	25,54,000 (रुपये पच्चीस लाख चौवन हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2	091	2030030010400 जिला व्यय	49 चिकित्सा व्यय	30,51,000 (रुपये तीस लाख इक्यावन हजार मात्र)
	कुल			**56,05,000** **(रुपये छप्पन लाख पाँच हजार मात्र)**
महायोग				9,98,05,000 (रुपये नौ करोड़ अट्ठानबे लाख पाँच हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-23/2026/729(1)/94-1-2026-312(125)/2024, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र० प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।